



मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक 24.03.2026

थाना को0कटरा पुलिस टीम द्वारा झपट्टा मारकर मोबाइल छिनने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 08 मोबाइल फोन बरामद —

थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर पर दिनांक: 24.03.2026 को वादी ऋषभ पाण्डेय पुत्र आम प्रकाश पाण्डेय निवासी छुरूआ देवरी थाना को0देहात जनपद मीरजापुर द्वारा तहरीर दी गयी कि सबरी फटका के पास मोबाइल पर बात करते समय पीछे आ रहे दो व्यक्तियों द्वारा मोबाइल फोन छिनकर भागने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी। उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0कटरा पुलिस द्वारा पर मु0अ0सं0-76/2026 धारा 304(2) बीएनएस अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु थाना प्रभारी को0कटरा को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0कटरा पर अभियोग पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए पतारसी-सुरागरसी एवं अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम थाना को0कटरा क्षेत्र से घटना से सम्बन्धित प्रकाश में आये 04 अभियुक्तों 1. अरबाज कुरैसी पुत्र फिरोज निवासी चिकाने टोला लालडिग्गी थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर, 2. आसिफ अंसारी पुत्र मैनुद्वीन अंसारी निवासी देवपुरवा थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर, 3. लवकुश सोनकर पुत्र चौथी सोनकर निवासी हनुमान पड़रा थाना को0देहात जनपद मीरजापुर व 4. राजू उर्फ मुस्तफा पुत्र जब्बार निवासी इमामबाड़ा थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 08 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया, इस सम्बन्ध में थाना को0कटरा पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगो का एक गिरोह है जो मौके देखकर राह चलते व्यक्तियों के मोबाइल फोन को झपट्टा मार कर छिन लेते हैं तथा भाग जाते हैं। छिने हुए मोबाइल फोन को बेचकर जो धन प्राप्त होता है उसे हमलोग आपस में बाट लेते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. अरबाज कुरैसी पुत्र फिरोज निवासी चिकाने टोला लालडिग्गी थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।
2. आसिफ अंसारी पुत्र मैनुद्वीन अंसारी निवासी देवपुरवा थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।
3. लवकुश सोनकर पुत्र चौथी सोनकर निवासी हनुमान पड़रा थाना को0देहात जनपद मीरजापुर।
4. राजू उर्फ मुस्तफा पुत्र जब्बार निवासी इमामबाड़ा थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-76/2026 धारा 304(2), 317(4), 317(5) बीएनएस थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास- राजू उर्फ मुस्तफा उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 1774/2015 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0शहर जनपद मीरजापुर ।
2. मु0अ0सं0- 499/2016 धारा 379,411,414 भादवि थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
3. मु0अ0सं0- 1031/2016 धारा 379,411 थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।

विवरण बरामदगी —

08 अदद मोबाइल फोन ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

थानाध्यक्ष बैद्यनाथ सिंह मय पुलिस टीम थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।

उप निरीक्षक आनन्द शंकर सिंह चौकी प्रभारी लालडिगी थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।

सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा 10 हजार रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया ।

